पत्रांक–बा0नि0रूपा0प्र0–तक0–(अना0) 02–210–2025– 140

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषकः–

ई0 ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–4,
ग्रामीण कार्य विभाग, डी0 आई0 चौक के पास
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, ऑफिस कम्पाउन्ड,
पूर्णिया पिन कोड–854301।

पटना, दिनांक– 27-4-2026

विषयः– पूर्णिया जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बायसी अंतर्गत मुनवार से अब्बास चौक पथ के निर्माण हेतु प्रथम चरण के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक II/मु0अ0–4, विविध–03.40/25- 2902 दिनांक–31.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार पूर्णिया जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बायसी अंतर्गत मनुमारे से अब्बास चौक तक पथ निर्माण कार्य अंतर्गत जल संसाधन विभाग के स्वामित्वाधीन खाताहाट तटबंध पर कुल 1.42 कि0मी0 की लम्बाई में (कि0मी0 3.00 से 4.42 कि0मी0 तक) पथ निर्माण कार्य निमित प्रथम चरण के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों (क्रमांक–1 से 30 तक में अंकित) के साथ निर्गत किया जाता है:–

शर्तें :–

1. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी अन्तर्गत मनुवारे से अब्बास चौक पथ निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्थापित/निर्धारित विशिष्टि एवं मानकों के अनुरूप कराना होगा।
2. पथ निर्माण कार्य के समर्पित प्रस्ताव में प्रावधानित Flexible Pavement एवं Rigid Pavement को प्रावधानित Section के अनुरूप सम्पादित किये जाने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा परन्तु Earthen Shoulder के स्थान पर GSB Shoulder पथ की सुरक्षा एवं उपयोगिता के दृष्टिगत प्रावधानित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3. प्रस्तावित पथ का Finished Level किसी भी परिस्थिति में HFL एवं Free Board के योग से कम नहीं रखने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।
4. प्रस्तावित पथ का निर्माण अतिक्रमण मुक्त कराते हुए किया जाय एवं तटबंध का River Side एवं Country Side Slope 2:1 में Properly Maintain किये जाने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।
5. खाताहाट तटबंध में प्रस्तावित कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के देख–रेख में उनके द्वारा बताये गये लम्बाई में कराना होगा।
6. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated/Waste Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
7. परमान नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code 11532:1995 के अनुसार बाँध के किसी भी Toes से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी नहीं काटा जायेगा एवं परमान नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित पथ के निर्माण में यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है तो तत्संबंधी कार्य एवं व्यय ग्रामीण कार्य विभाग की देयता होगा।
9. प्रस्तावित पथ पर भारी वाहनों का परिचालन रोकने हेतु Height Barrier एवं Danger Post लगाया जाय एवं प्रस्तावित पथ पर आवश्यकतानुसार Crash Barrier लगाया जाय।

आवक सं0 2871
दिनांक 30-04-26
मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना

10. प्रस्तावित पथ निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर विभागीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग स्वयं के व्यय पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. प्रस्तावित पथ में किसी प्रकार के संरचना को पथ की महत्ता के दृष्टिगत समुचित Load का आंकलन कर पुनर्निमित/मरम्मत किये जाने की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।
12. प्रस्तावित पथ के भविष्य में वाहन परिचालन के दबाव में वृद्धि होने के दृष्टिगत प्रस्तावित Section में Indian Road Congeress के सुसंगत प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुर्नावलोकन किया जाय।
13. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी अन्तर्गत मनुवारे से अब्बास चौक पथ निर्माण कार्य हेतु सभी अपेक्षित मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायों का पूर्णतः अनुपालन कराना होगा।
14. प्रस्तावित पथ निर्माण के दौरान वैसे अनदेखे (Unseen), जो वर्तमान में परिलक्षित नहीं हो रहे है या आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहे है, उन्हें कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने पर उक्त कार्य को जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए निर्देशों को कार्यहित में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराना होगा।
15. कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।
16. कार्य के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
17. पथ निर्माण के पश्चात् पथ की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा किया जाएगा।
18. बाढ़ अवधि में किसी भी प्रकार के कार्य कराने की अनुमति नहीं होगी।
19. पथ निर्माण निमित्त नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनों तरफ आवश्यक कार्य यथा डायर्भसन सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
20. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण (लिंक पथ में प्रस्तावित Hume pipe culvert) के पास के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
21. पथ निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
22. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले पथांश का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित्त नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् बना रहेगा।
23. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशो का अनुपालन करना होगा।
24. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
25. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।
26. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
27. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
28. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4(विविध) 07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये Flood Plain Zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
29. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
30. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक—बा0नि0रूपा0प्र0—2—210/2025/ १५० /पटना, दिनांक— २७-५-२०२६

प्रतिलिपिः—मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।